

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

1. 19/3/23 को र पुणे सिविल जज  
द्वारा महापुरुष मेल के  
कारण किसी प्रकार का एडवार्स आदेश पारित नहीं  
करने का निर्देश दिया। कारण कार्य में आज कार्य  
रूकाने रखा जायत परावली पूर्व आदेशानुसार  
01/4/23 को ये हुक्म।

01/4/23

राजस्थान ताडगाँव 160/2023 मुख्यालय प/स कहलकरण  
परावली केस ही वकील वाडी व वाडी  
अनुपमिता वकील वाडी व ताडीगण को  
आफ 08:10 एजे तब साथ साथ वर तीन बार  
आवाज लगावारी गरी किन्तु वे अनुपमित रहे  
हैं अतः वाडी वकील वाडी अडिथ 09 निम्न  
03 CLK को तहल अडिथ एजे अडिथ परी  
मे खारिज कियेजारी हैं परावली केसल  
हुक्म एजे तब साथ साथ ही

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़